आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......11..../17–18

राज्य बनाम टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43P-3196

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
18.2.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार थाना कांड संख्या–93/17 दिनांक–02.03.17 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43P-3196 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सौर बाजार थाना कांड संख्या–93/17 दिनांक–02.03.17 लालदेव हरिजन स0अ0नि0 के लिखित आवेदन के आधार पर टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43P-3196 के चालक एवं तीन चार अज्ञात द्वारा टेम्पू पर शराब लोडकर ले जाने के क्रम में पुलिस बल को देखकर टेम्पु पर लोड शराब को गोरीपारा चौंक पर छोड़कर भाग जाने के आरोप में अंकित किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। उक्त विदेशी शराब और टेम्पु को अभिरक्षा में लेकर फरार अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43P-3196 से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे वाहन से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43P-3196 का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उक्त वाहन टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0–	

18.2.18

	BR-43P-3196 का मालिक स्व0 किरण गोस्वामी का पत्नी (चंदा देवी) है। दिनांक— 02.03.17 को रितेश कुमार पिता—स्व0 बेचन पौद्दार सा0— बैजनाथपुर थाना—सौरबाजार जिला—सहरसा ने 10 बजे दिन में मुझसे यह कहकर ले गया कि मुझे आज जरूरी काम है मेरा संबंधी लोग सहरसा जंक्शन पर आए है। दो दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरा टेम्पु पकड़कर थाना में रखे हुए है तब मैं जाकर देखा तो सही में मेरा गाड़ी सौरबाजार थाना में लगा हुआ है। अतः प्रार्थना है कि गरीब निःसहाय अबला महिला के आवेदन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए टेम्पु को मुक्त करने का कृपा किया जाय, चूँकि बाल—बच्चे का आहार बंद है टेम्पु के कमाई से ही बाल—बच्चे का गुजर वसर करती थी। उक्त वाहन टेम्पु से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त वाहन टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0— BR-43P-3196 अवैध कारोवार में संलिप्त है। इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है न तो ऐसा अभिकथन है और न ही इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि टेम्पु से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जप्त वाहन टेम्पु से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन टेम्पु का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जप्त वाहन टेम्पु रजिस्ट्रेशन नं0— BR-43P-3196 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है। 18.7.18 समाहर्त्ता, सहरसा। 18.7.18 समाहर्त्ता, सहरसा।	